भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम मेसर्स उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और अन्य

(जी. एस. संधवालिया, जे.)

जी. एस. संधवालिया के समक्ष

भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड–याचिकाकर्ता

बनाम

मैसर्स उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और प्रतिवादी

2021 का सीडब्ल्यूपी No.5196 29 सितंबर, 2021

भारत का संविधान, 1950 – अनुच्छेद 226 और 227 – रिट याचिका – मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 – एसएस 13 (3), 14 और 16 – मध्यस्थ का क्षेत्राधिकार – आपत्ति – कब फैसला सुनाया जाएगा – तथ्यों पर, मध्यस्थता खंड में पार्टियों के बीच विवादों को प्रतिवादी के एकमात्र मध्यस्थ/प्रबंध निदेशक के पास भेजा जाना तय था – उन्होंने एक सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया – एमडी के रूप में इस नियुक्ति को चुनौती, जो खुद अयोग्य थे मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए, किसी अन्य व्यक्ति को नामांकित नहीं किया जा सकता – मध्यस्थ ने धारा 13 (3) के तहत अपनी नियुक्ति को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता के आवेदन पर निर्णय लेने के बजाय, आदेश दिया कि इसे अंतिम निर्णय लिखने के समय लिया जाएगा – आयोजित किया गया। एक बार जब अधिकार क्षेत्र का प्रश्न उठा, तो यह मामले की जड़ तक चला गया; इस मुद्दे को टालना मध्यस्थ द्वारा अपनाई गई सही पद्धति नहीं थी – जैसा कि पर्किन ईस्टमैन आर्किटेक्ट्स डीपीसी मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया था, एक बार जब एमडी स्वयं मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य हो जाता है तो वह किसी अन्य व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नामित नहीं कर सकता है – विवादित इसलिए, आदेशों को रद्द कर दिया गया – इसके अलावा, अधिनियम की धारा 11 के तहत आवेदन दायर करने के लिए पक्षों को मुकदमेबाजी के दूसरे दौर में ले जाने के बजाय एक स्वतंत्र मध्यस्थ नियुक्त करना उचित समझा गया – एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को मध्यस्थ नियुक्त करके याचिका का निपटारा किया गया ।

माना गया कि, एक बार अधिकार क्षेत्र का प्रश्न उठने के बाद, यह मामले की जड़ तक जाता है और इस न्यायालय की राय है कि उक्त मुद्दे को टालना और उसके

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम मेसर्स उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और अन्य

(जी. एस. संधवालिया, जे.)

बाद यह मानना कि मामले को अंतिम चरण में देखा जाएगा, मध्यस्थ के द्वारा अपनाई गई सही पद्धति नहीं थी। यह विवादित नहीं है कि टीआरएफ लिमिटेड (सुप्रा) में पारित निर्णय का आगे 'पर्किन्स ईस्टमैन आर्किटेक्ट्स डीपीसी और अन्य बनाम एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड', 2021 एआईआर (एससी) 59 में पालन किया गया है। (पैरा 9)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि उक्त मामले में मध्यस्थ को प्रतिवादी–कंपनी के प्रबंध निदेशक द्वारा विधिवत नियुक्त किया गया था और यह इस मुद्दे पर चुनौती का विषय था कि प्रबंध निदेशक और इसके नामित व्यक्ति भी विवाद में नहीं जा सकते थे। टी. आर. एफ. लिमिटेड (उपरोक्त) में पारित निर्णय पर भरोसा करते हुए, यह माना गया कि प्रबंध निदेशक कानून के संचालन से मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य हो गया और वह किसी अन्य व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए नामित नहीं कर सकता। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 30.07.2019 के पत्र के प्रभाव को रद्द कर दिया था और विवाद का फैसला करने के लिए एक स्वतंत्र मध्यस्थ नियुक्त किया था। (पैरा 10)

आगे कहा गया कि, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय की राय है कि आदेश दिनांक 18.08.2020 (अनुलग्नक पी–17) में पूछा गया है प्रतिवादी संख्या 4 को संदर्भ में दर्ज करने के लिए और क्षेत्राधिकार के आदेश के संबंध में आदेश दिनांक 16.12.2020 अनुबंध पी–20) को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। तदनुसार,ये रद्द कर दिया। (पैरा 11)

आगे कहा गया कि उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, अधिनियम की खंड 11 के तहत आवेदन दायर करने के लिए पक्षकारों को मुकदमे के दूसरे दौर के लिए प्रेरित करने के बजाय एक स्वतंत्र मध्यस्थ नियुक्त करना उचित होगा। तदनुसार, न्यायाधीश आर. पी. नागरथ (सेवानिवृत्त) निवासी #162, सेक्टर–123, न्यू सनी एन्क्लेव, खरार, मोहाली, मोबाइल No.8558809901 को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया जाता है। वह पक्षों के बीच विवाद को निपटाने के लिए अपनी स्वतंत्रता और निष्पक्षता का खुलासा करने के लिए पांचवीं और छठी अनुसूची के साथ पठित

अधिनियम की आदेश 12 के तहत आवश्यक घोषणा दायर करेगा। मध्यस्थ से अधिनियम की खंड 29 ए के तहत निर्दिष्ट समय के भीतर कार्यवाही पूरी करने का भी अनुरोध किया जाता है। मध्यस्थ की फीस का भुगतान अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। (पैरा 12)

आशीष कपूर, याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता, बलदेव राज महाजन ,वरिष्ठ अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता निकिता गोयल के साथ ।

जी. एस. संधवालिया, जे. (ORAL)

(1) वर्तमान रिट याचिका में चुनौती मध्यस्थ की नियुक्ति को है–न्यायाधिकरण के पत्र दिनांक 18.08.2020 (अनुलग्नक पी–17) के माध्यम से खरीद आदेश दिनांक 06.09.2018 (अनुलग्नक पी–2), जिसके तहत मध्यस्थ को याचिकाकर्ता और प्रतिवादी नंबर 1 के बीच उत्पन्न विवाद के कारण मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (संक्षेप में 'अधिनियम') के संदर्भ में संदर्भ दर्ज करने के लिए कहा गया था।

(2) मध्यस्थ–न्यायाधिकरण द्वारा 16.12.2020 (अनुलग्नक पी–20) पर पारित बाद के आदेश को भी चुनौती दी गई है, जिसमें अधिनियम की धारा 13,14 और 16 के तहत दायर आवेदन को यह मानते हुए खारिज कर दिया गया था कि पक्षों ने कानून और तथ्यों के विवादित सवाल उठाए हैं। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि मामले के गुण–दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना जवाब दाखिल करने के लिए निर्देश जारी किए जाएं और दोनों पक्षों से साक्ष्य लेने के बाद प्रतिवादी द्वारा उठाए गए बिंदुओं और आवेदन पर अंतिम निर्णय लिखते समय उचित ध्यान दिया जाएगा।नतीजतन, मामले को 18.01.2021 पर आगे की कार्यवाही के लिए तय किया गया था।

(3) याचिकाकर्ता के वकील ने अपनी दलीलों को इस तथ्य के रूप में एक कानूनी मुद्दे तक सीमित कर दिया है कि खंड 13 के तहत मध्यस्थ के समक्ष एक विशिष्ट प्रश्न उठाया गया था कि मध्यस्थ–न्यायाधिकरण को खंड 13 (3) के तहत तथ्य पर निर्णय लेना था और इसलिए, मामले को लंबित रखना उचित नहीं था। यह

प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1 के प्रबंध निदेशक द्वारा नियुक्ति पर सवाल उठाया गया था क्योंकि मध्यस्थ को उक्त मध्यस्थता खंड 23 के तहत नामित किया गया था। इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक बार न्यायाधिकरण की अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाए जाने के बाद, इसे खंड 16(2) के तहत किया जाना था, जो कहता है कि बचाव पक्ष का बयान प्रस्तुत करने के बाद नहीं और न्यायाधिकरण को उक्त याचिका पर निर्णय लेना था और इस तरह के निर्णय को स्थगित करके कार्रवाई उचित नहीं थी।

(4) दिनांक 06.09.2018 (अनुलग्नक पी–2) के खरीद आदेश, जिसे याचिकाकर्ता के अनुसार भी अंतिम रूप नहीं दिया गया है, एक मध्यस्थता खंड प्रदान करता है, जो निम्नानुसार हैः–

" 14 मध्यस्थता

सभी विषय प्रश्न, विवाद, मतभेद और/या अनुबंध से उत्पन्न होने वाले और/या संबंधित और/या संबंध में और/या परिणामों में या अनुबंध से संबंधित दावे, चाहे अनुबंध के तहत दोनों पक्षों में से किसी एक या दोनों पक्षों के दायित्व विवाद के समय मौजूद हों या नहीं, और क्या अनुबंध को समाप्त कर दिया गया है या समाप्त करने या पूरा करने का इरादा है या नहीं, इसे एम. डी., यू. एच. बी. वी. एन. या एम. डी., यू. एच. बी.वी. एन. द्वारा उनके नामित अधिकारी के एकमात्र मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाएगा। मध्यस्थता का निर्णय अंतिम होगा और इस अनुबंध के पक्षों पर बाध्यकारी होगा। यह आपत्ति कि मध्यस्थ को उन मामलों से निपटना है जितदनुसार,ये रद्द कर दिया। नसे अनुबंध अपने कर्तव्यों के दौरान संबंधित है या उसने मतभेद के विवाद में किसी भी या सभी मामलों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं, एक वैध–आपत्ति के रूप में नहीं मानी जाएगी।

मध्यस्थ समय–समय पर अनुबंध के पक्षों की सहमति से निर्णय देने के लिए समय बढ़ा सकता है। मध्यस्थता का स्थान प्रस्ताव की स्वीकृति से जारी किया गया स्थान होगा या ऐसा अन्य स्थान होगा जिसे मध्यस्थ अपने विवेक से निर्धारित कर सके।

पक्ष भी अनुबंध इस बात पर सहमत हैं कि मध्यस्थता की लागत मध्यस्थता न्यायाधिकरण की नियुक्ति की तारीख को जारी/प्रचलित निगम के निर्देशों के अनुसार होगी।

उपर्युक्त प्रावधानों के अधीन रहते हुए, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधान और उस समय लागू किसी भी वैधानिक संशोधन के तहत वहां के नियम, खंड के तहत मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू होते हैं।"

(5) उसी को पढ़ने से पता चलता है कि पक्षों के बीच अनुबंध से संबंधित सभी मामले, प्रश्न और विवाद प्रतिवादी के एम. डी. के एकमात्र मध्यस्थ या उसके द्वारा नियुक्त अधिकारी को भेजे जाने हैं।

(6) यह विवादित नहीं है कि मध्यस्थ, जो स्वयं एक पूर्व जिला और सत्र न्यायाधीश है, ने दोनों पक्षों को संबोधित पत्र (अनुलग्नक पी–18) के माध्यम से कहा कि उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया था और इसलिए, संदर्भ में प्रवेश किया था और पक्षों को 18.09.2020 पर उपस्थित होने के लिए कहा था।

(7) प्रतिवादी–निगम के लिए कानूनी अधिकारी द्वारा संबोधित 18.08.2020 (अनुलग्नक पी–17) दिनांकित पत्र के अवलोकन से पता चलता है कि अनुरोध प्रतिवादी–निगम द्वारा किया गया था जिसके आधार पर नोटिस जारी किया गया था।

(8) इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि मध्यस्थता खंड के संदर्भ में कार्य करते हुए, प्रबंध निदेशक ने मध्यस्थ की नियुक्ति की थी।न्यायाधिकरण–मध्यस्थ के समक्ष इस

तरह की आपत्तियाँ थीं कि टी. आर. एफ. लिमिटेड बनाम एनर्गो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लिमिटेड 1 में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय उनकी नियुक्ति गलत थी। विद्वान मध्यस्थ ने उक्त निर्णय को अलग किया है जो सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ का एक निर्णय है और भयान बिल्डर्स बनाम ओरिएंटल स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग 2 में दिल्ली उच्च न्यायालय की टिप्पणियों पर भरोसा किया है और उस निर्णय को अलग करने का प्रयास किया है जो सर्वोच्च न्यायालय की बाध्यकारी मिसाल है।

(9) एक बार अधिकार क्षेत्र का प्रश्न उत्पन्न होने के बाद, यह मामले की जड़ तक जाता है और इस न्यायालय की राय है कि उक्त मुद्दे को टालना और उसके बाद यह अभिनिर्धारित करना कि मामले को अंतिम चरण में ले जाया जाएगा, मध्यस्थ द्वारा अपनाई गई सही कार्यप्रणाली नहीं थी।यह विवादित नहीं है कि टी. आर. एफ. लिमिटेड (उपरोक्त) में पारित निर्णय ने इसके बाद पर्किन्स ईस्टमैन आर्किटेक्ट्स डी. पी. सी. और दूसरे बनाम एच. एस. सी. सी. (इंडिया) लिमिटेड 3 में इसका अनुसरण किया गया।

(10) उक्त मामले में, मध्यस्थ को प्रतिवादी–कंपनी के प्रबंध निदेशक द्वारा विधिवत नियुक्त किया गया था और यह इस मुद्दे पर चुनौती का विषय था कि प्रबंध निदेशक और इसके नामित व्यक्ति भी विवाद में नहीं जा सकते थे। टी. आर. एफ. लिमिटेड (उपरोक्त) में पारित निर्णय पर भरोसा करते हुए, यह माना गया कि प्रबंध निदेशक कानून के संचालन से मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य हो गए और वह किसी अन्य व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए नामित नहीं कर सकते। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 30.07.2019 के पत्र के प्रभाव को रद्द कर दिया था और विवाद का फैसला करने के लिए एक स्वतंत्र मध्यस्थ नियुक्त किया था।उक्त निर्णय का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः–

> “15. इस प्रकार यह अभिनिर्धारित किया गया कि चूंकि प्रबंध निदेशक एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए कानून के संचालन से अयोग्य हो गया था, इसलिए वह मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए

किसी अन्य व्यक्ति को नामित नहीं कर सकता था और एक बार एकमात्र मध्यस्थ के रूप में प्रबंध निदेशक की पहचान समाप्त हो जाने के बाद, किसी और को मध्यस्थ के रूप में नामित करने की शक्ति भी समाप्त हो गई थी। उक्त मामले में प्रासंगिक खंड ने स्वयं प्रबंध निदेशक को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नामित किया था और उक्त प्रबंध निदेशक को मध्यस्थ के रूप में कार्य करने का अधिकार भी दिया था। इस प्रकार उक्त खंड के तहत प्रबंध निदेशक के पास दो क्षमताएँ थीं, पहली मध्यस्थ के रूप में और दूसरा एक नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में। वर्तमान मामले में हम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की केवल एक क्षमता से संबंधित हैं और वह एक नियुक्ति प्राधिकरण के रूप में है।

इस प्रकार हमारे पास मामलों की दो श्रेणियाँ हैं।पहला, टी. आर. एफ. लिमिटेड 4 के समान है, जिसमें प्रबंध निदेशक को स्वयं एक मध्यस्थ के रूप में नामित किया जाता है, जिसके पास किसी अन्य व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने की अतिरिक्त शक्ति होती है।दूसरी श्रेणी में, प्रबंध निदेशक को स्वयं मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं करना है, बल्कि वह अपनी पसंद या विवेक के किसी अन्य व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने के लिए सशक्त या अधिकृत है।यदि, मामलों की पहली श्रेणी में, प्रबंध निदेशक को अक्षम पाया जाता है, तो यह कहा जाता है कि वह विवाद के परिणाम या परिणाम में रुचि रखता है।

1 2017 (8) एससीसी 377

2 (2018) 249 डीएलटी 619

3 2021 एयर (एससी) 59

इस प्रकार अयोग्यता का तत्व सीधे तौर पर संबंधित होगा और इस तरह के परिणाम या निर्णय में उसके हित से उत्पन्न होगा। यदि यह परीक्षण है, तो इसी तरह की अयोग्यता हमेशा उत्पन्न होगी और दूसरी श्रेणी के मामलों में भी पैदा होगी।यदि विवाद के परिणाम में उसके हित

को पक्षपात की संभावना का आधार माना जाता है, तो यह हमेशा मौजूद रहेगा, भले ही मामला पहली या दूसरी श्रेणी के मामलों में हो।हम इस बात से अवगत हैं कि यदि टी. आर. एफ. लिमिटेड 4 में इस न्यायालय के निर्णय से इस तरह की कटौती की जाती है, तो सभी मामले जिनके समान खंड हैं, जिनसे हम वर्तमान में संबंधित हैं, समझौते का एक पक्ष अपने दम पर एक मध्यस्थ की कोई भी नियुक्ति करने का हकदार नहीं होगा और यह तर्क देने के लिए हमेशा उपलब्ध होगा कि विवाद में रुचि रखने वाला एक पक्ष या एक अधिकारी या एक प्राधिकरण एक मध्यस्थ की नियुक्ति करने का हकदार नहीं होगा।

16. लेकिन, हमारे विचार में यह टी. आर. एफ. लिमिटेड 4 से तार्किक कटौती होनी चाहिए। पैराग्राफ 50 के निर्णय से पता चलता है कि यह न्यायालय इस मुद्दे से संबंधित था, "क्या प्रबंध निदेशक, कानून के संचालन से अयोग्य होने के बाद, क्या वह अभी भी एक मध्यस्थ को नामित करने के योग्य है" इसमें संदर्भित अयोग्यता, कानून के संचालन के परिणामस्वरूप थी, जिसमें विवाद में या उसके परिणाम या निर्णय में रुचि रखने वाला व्यक्ति न केवल मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य होना चाहिए, बल्कि किसी और को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने के लिए भी पात्र नहीं होना चाहिए और ऐसे व्यक्ति के पास मध्यस्थ नियुक्त करने की शक्ति होने से विवाद समाधान के लिए कोई रास्ता तय करने में कोई भूमिका नहीं हो सकती है और होनी भी नहीं चाहिए। पैराग्राफ के अगले वाक्य, आगे बताते हैं कि ऐसे मामले जहां दोनों पक्ष अपनी पसंद के संबंधित मध्यस्थों को नामित कर सकते थे, पूरी तरह से एक अलग स्थिति पाई गई।इसका कारण स्पष्ट है कि किसी पक्ष को अपनी पसंद के मध्यस्थ को नामित करने से जो भी लाभ हो सकता है, वह दूसरे पक्ष के साथ समान शक्ति द्वारा संतुलित होगा! लेकिन, ऐसे मामले में जहां केवल एक पक्ष को एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करने का अधिकार है, उसकी पसंद में हमेशा विवाद समाधान के लिए

कोई भी रास्ता तैयार करना एक तत्व होगा।पैराग्राफ में अगले वाक्य, आगे दिखाते हैं कि ऐसे मामले जहां दोनों पक्ष अपनी पसंद के संबंधित मध्यस्थ को नामित कर सकते थे, पूरी तरह से एक अलग स्थिति पाई गई! वजह साफ है कि इससे किसी भी पार्टी को फायदा होगा अपनी पसंद के मध्यस्थ को नामांकित करने से दूसरे पक्ष के साथ समान शक्ति द्वारा प्रतिसंतुलन हो सकता है। लेकिन, ऐसे मामले में जहां केवल एक पक्ष को एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करने का अधिकार है, उसकी पसंद में हमेशा निर्धारण में विशिष्टता का तत्व होगा या विवाद समाधान के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना।स्वाभाविक रूप से, विवाद के परिणाम या निर्णय में रुचि रखने वाले व्यक्ति के पास एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करने की शक्ति नहीं होनी चाहिए।इसे मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2016 का अधिनियम 3) द्वारा लाए गए संशोधनों के सार के रूप में लिया जाना चाहिए और टी. आर. एफ. लिमिटेड में इस न्यायालय के निर्णय द्वारा मान्यता दी जानी चाहिए।"

(11) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय की राय है कि प्रतिवादी संख्या 4 को संदर्भ में प्रवेश करने के लिए कहने वाले दिनांकित 18.08.2020 (अनुलग्नक पी–17) के आदेश और दिनांकित 16.12.2020 (अनुलग्नक पी–20) के आदेश के माध्यम से अधिकार क्षेत्र के आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है। तदनुसार, ये रद्द कर दिया।

(12) उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, अधिनियम की खंड 11 के तहत आवेदन दायर करने के लिए पक्षकारों को मुकदमे के दूसरे दौर के लिए प्रेरित करने के बजाय एक स्वतंत्र मध्यस्थ नियुक्त करना उचित होगा। तदनुसार, न्यायाधीश आर. पी. नागरथ (सेवानिवृत्त) निवासी 162, सेक्टर–123 न्यू सनी एन्क्लेव, खरड़ , मोहाली, मोबाइल 8558809901 को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया जाता है। वह पक्षों के बीच विवाद को निपटाने के लिए अपनी स्वतंत्रता और निष्पक्षता का खुलासा करने के लिए पांचवीं और छठी अनुसूची के साथ पठित अधिनियम की आदेश 12 के

तहत आवश्यक घोषणा दायर करेगा।मध्यस्थ से अधिनियम की खंड 29ए के तहत निर्दिष्ट समय के भीतर कार्यवाही पूरी करने का भी अनुरोध किया जाता है। मध्यस्थ की फीस का भुगतान अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

(13) आदेश की प्रति दिए गए पते पर उक्त मध्यस्थ को और पार्टियों के वकील भी भेजी जाए।मध्यस्थ की सहमति लेने के बाद, पार्टियों को 11.10.2021 को सुबह 10.00 बजे मध्यस्थ के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

(14) रिट याचिका का निपटारा उपरोक्त शर्तों में किया जाता है।

त्रिभुवन दहिया

अस्वीकरण :– स्थानीय भाषा में अनुवादी निर्णय वादी के सिमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भासा में समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है।सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उदेश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यावयन के उद्देश्य के लिए उपुक्त रहेगा।.

हरमिंदर कुमार